आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र सं0 - 🕉 💆 /2024

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश । पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002 दिनांक: अगस्त / , 2024

विषय:- उ०प्र० राज्य में फाइनेन्स का व्यवसाय करने वाली Non Banking Finance Companies (NBFC) द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली के सन्दर्भ में The Arbitration and Conciliation

Act 1996 की धारा-17 के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुपालन हेतु स्थानीय स्तर पर पुलिस

सहयोग उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि बैंको/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा दिये गये ऋण वसूली के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत इस मुख्यालय स्तर से डीजी परिपत्र सं0-06/2014 दि0-31.01.2014 पूर्व में निर्गत किया गया है। उ0प्र0 राज्य में वाहन आदि को फाइनेन्स करने का व्यवसाय करने वाले कितपय संस्थानों द्वारा मीखिक एवं लिखित रूप से यह अनुरोध किया गया है कि The Arbitration and Conciliation Act 1996 की धारा-17 के अधीन पारित किये गये आदेशों का अनुपालन कराने में स्थानीय पुलिस द्वारा सहयोग उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किया जाए।

2- The Arbitration and Conciliation Act 1996 की धारा-17 में निम्नवत व्यवस्था है-

- 17. Interim measures ordered by arbitral tribunal.—(1) A party may, during the arbitral proceedings, apply to the arbitral tribunal—
- (i) for the appointment of a guardian for a minor or person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings; or
- (ii) for an interim measure of protection in respect of any of the following matters, namely:—
 - (a) the preservation, interim custody or sale of any goods which are the subject-matter of the arbitration agreement;
 - (b) securing the amount in dispute in the arbitration;
 - (c) the detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject matter of the dispute in arbitration, or as to which any question may arise therein and authorising for any of the aforesaid purposes any person to enter upon any land or building in the possession of any party, or authorising any samples to be taken, or any observation to be made, or experiment to be tried, which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence;
 - (d) interim injunction or the appointment of a receiver;
 - (e) such other interim measure of protection as may appear to the arbitral tribunal to be just and convenient, and the arbitral tribunal shall have the same power for making orders, as the court has for the purpose of, and in relation to, any proceedings before it.

- (2) Subject to any orders passed in an appeal under section 37, any order issued by the arbitral tribunal under this section shall be deemed to be an order of the Court for all purposes and shall be enforceable under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in the same manner as if it were an order of the Court.
- 3- The Arbitration and Conciliation Tribunal द्वारा अधिनियम-1996 की धारा-17 के अधीन पारित आदेशों का अनुपालन (Execution) सुनिश्चित कराने हेतु यदि मा0 अधिकरण अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी जनपद/किमश्नरेट के प्रभारी पुलिस अधिकारी को विशिष्ट रूप से आदेशित किया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा मा0 अधिकरण / मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
- 4- सनद रहे कि उपरोक्त कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया / माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ही कराया जाये।

भवदीय,

्री । (प्रशान्त कुमार)

- 1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:---

- समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0, लखनऊ।
- 2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0, लखनऊ।
- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।